

25.01.2021:-प्राथी पन्ना पुत्र श्री सुभान ने स्वम उपरिथत होकर पत्रावली को पेशी मे लिये जाने बाबत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया जाकर प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र पेश कर प्रार्थना-पत्र को विद्वा करने निवेदन किया की वर्तमान मे इस प्रकरण मे राजीनाम हो जाने से इस प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी ने फर्द अहकाम पर लिखित कथन किया। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान स्तर पर प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

